FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector.Ajmer

No...... 12239 Dated....16/5/2017........

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.0225 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of PHED CITY DIVISION FIRST AJMER for Drinking Water Purposes in **Ajmer** District falls within jurisdiction of **Ajmer** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the 0.0225 hectares of forest area proposed for diversion.There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.A copy of records of all consultations and meetings of the Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 10.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before concerned Gram Panchayat of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;- There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. **N/A**

(c) The concerned Gram Panchayat has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. **N/A.**

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Panchayat present; **N/A**

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Mohalla Samiti ajmer have given their consent to it

(f) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls: As above.

12/5/17

Chief Executive Officer,
Zila Parishad, Ajmer.

D.F.O.
AJMER

DISTRICT COLLECTOR
AJMER

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

क्रमांक : जिपअ / वन अधिकार / 2017 / दिनांक:

श्रीमान जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय :– जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नही करने का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

प्रसंग :– अधि.अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,नगर खण्ड,प्रथम अजमेर के पत्रांक 11578–79 दिनांक 24.03.17

महोदय,

उपरोक्त विषय तथा प्रासंगिक पत्र के क्रम में अधि.अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,नगर खण्ड,प्रथम अजमेर द्वारा ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर मे एक उच्च जलाशय हेतु खसरा नं. 4617 मे से 0.0225 हैक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र के संबंध मे इस कार्यालय की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण तथा एफआरए प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही हे।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

क्रमांक : जिपअ / वन अधिकार / 2017 / 12241 – 45 दिनांक: 16/5/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप वन संरक्षक,अजमेर।
2. उपखण्ड अधिकारी,अजमेर।
3. तहसीलदार,अजमेर।
4. अधि.अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,नगर खण्ड,प्रथम अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

(1)

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक / जिपअ / वन अधिकार / 2017 / 10978 दिनांक 3/5/17

बैठक सूचना

श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर के पत्रांक 3803--04 दिनांक 06.04.2017 के तहत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,नगर खण्ड (प्रथम) अजमेर द्वारा ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्च जलाशय हेतु खसरा नं0 4617 में से 0.0225 हैक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत F.R.A. CERTIFICATE जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06--05--2017 को 12.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आमन्त्रित की जा रही है । सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठक में पधारने का श्रम करावें ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर।
दिनांक :- 3/5/17

क्रमांक :- जिपअ / वन अधिकार / 2016 / 10979-98

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. निजी सहायक मुख्य / अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर ।
3. उप वन संरक्षक, अजमेर । 2627143, 2429796
3. उपखण्ड अधिकारी,अजमेर।
4. तहसीलदार,अजमेर। 2627253
5. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड,प्रथम अजमेर।
6. श्री शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य,अजमेर। 9887012932
7. श्रीमती सरोज देवी, जिला परिषद सदस्य,अजमेर । 8239940907
8. श्रीमती डॉ0 अनिता बैरवा, जिला परिषद सदस्य,अजमेर। 9636374092

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / कअ / राजस्व / 17 / 3803-04 दिनांक : 6.5.17

निमित्त :-

1. मण्डल वन अधिकारी, अजमेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।

विषय : जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) **अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवास नहीं करने का प्रमाणपत्र जारी कराने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर खण्ड (प्रथम), अजमेर ने उनके पत्र क्रमांक 11578–79 दिनांक 24.03.2017 (जिसकी प्रति संलग्न है) के द्वारा अवगत कराया है कि ट्रॉम्बे स्थित हरिजन बस्ती के पीछे पहाड़ी पर उच्च जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि उक्त भूमि वन क्षेत्र में आती है, इस हेतु जन हितार्थ कार्य के दृष्टिगत जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवास नहीं करने का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है।

अतः आप उक्त वनक्षेत्र भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर, जाँच रिपोर्ट व अनापत्ति प्रमाणपत्र भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अति. कलक्टर (प्रशासन) , अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड-I, अजमेर (राज.)
(Email :- ee.phed...ahoo.in)
दिनांक : 28|3|17

फोन नं. 0145-2628476
क्रमांक : अअ/नगर खंड/2016-17/त.स./ 11578-579

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला अजमेर ।

विषयः— जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नही करने का प्रमाण पत्र जारी कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ट्राम्बे स्थित हरिजन बस्ती के पीछे पहाड़ी पर उच्च जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं, चूंकि उक्त भूमि वन क्षेत्र में आती हैं। अतः जनहितार्थ कार्य के मध्यनज़र जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नही करने का प्रमाण पत्र जारी कराने का श्रम करावें जिससे कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर
दिनांक : 28|3|17

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2016-17/त.स./ 11578-579
प्रतिलिपि :—
1. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड प्रथम अजमेर

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियंता

(5)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

क्रमांक : उखअ / राजस्व / 2017 / 2331-44 दिनांक : 26.4.17

निमित्त :–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर
2. श्री एस. एल. जीनगर अधीशाषी अभियंता
   जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर
3. तहसीलदार अजमेर
4. श्री भरत कुमार धौलखेडिया, पार्षद वार्ड 13, नगर निगम, अजमेर
5. श्री अशोक टांक, ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती, अजमेर
6. श्री आनन्द जाजोटा, ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती, अजमेर

951
1.5.17

विषय :– जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अनूसूचित जाति / जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नही करने का प्रमाण पत्र की कियान्विति के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक बाबत।

संदर्भ :–श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के पत्र क्रमांक जीपअ / वन अधिकार / 2017 / 10757 दिनांक 17.04.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्च जलाशय हेतु खसरा नम्बर 4617 में से 0.0225 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्च जलाशय हेतु अजमेर चोक मलियान] खसरा नम्बर 4617 में से 0.025 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र हेतु अनूसूचित जाति / जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की कियान्विति के संबंध में कोई दावा पेश नही होने के संबंध में जांच कर बैठक कार्यवाही विवरण एवं वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भिजवाया जाना है इस हेतु नियत दिनांक 28.04.2017 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है कृपया उक्त बैठक में रेकॉर्ड सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होने का श्रम करावें।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

क्रमांक : उखअ / राजस्व / 2017 / 2345-46 दिनांक : 26.4.17

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर (राजस्व) अजमेर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

960
1.5.17

(5)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

क्रमांक : उखअ/राजस्व/17/2380 दिनांक : 28.4.17

निमित्त :— श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

विषय :— ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्च जलाशय हेतु खसरा नम्बर 4617 में से 0.0225 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र हेतु एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने बाबत।

प्रसंग :— आपका पत्र क्रमांक जीपअ/वन अधिकार/2017/10757 दिनांक 17.04.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्च जलाशय हेतु खसरा नम्बर 4617 में से 0.0225 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की कियान्विति के संबंध में उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 28.04.2017 को आयोजित की गई। अतः इस पत्र के संलग्न वांछित बैठक कार्यवाही विवरण की छाया प्रति मय प्रमाण पत्र के श्रीमान को सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

क्रमांक : उखअ/राजस्व/17/2381 दिनांक : 28.4.17

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला कलक्टर (राजस्व) अजमेर को उपरोक्तानुसार बैठक कार्यवाही विवरण मय प्रमाण पत्र प्रति सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

(1)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमाण–पत्र

दिनांक 28.04.2017 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार संबंधी बैठक की अनुशंषा एंव महौल्ला समिति सभा की बैठक दिनांक 14.04.2017 की अनुशंषा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ट्राम्बे हरिजन बस्ती, अजमेर स्थित खसरा सं0 4617 में से 0.0225 हेक्टर भूमि पर एक उच्च जलाश्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनूसूचित जाति/ जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनूसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एंव नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं है। अतः इस संबंध में अनाप्पति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
अजमेर

(7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

–::बैठक कार्यवाही विवरण::–

आज दिनांक 28.04.2017 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कक्ष में *प्रातः 11.00* बजे ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्च जलाशय हेतु खसरा नम्बर 4617 में से 0.0225 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र हेतु अनूसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की कियान्विति हेतु उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुए :–

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण/सदस्य	हस्ताक्षर
1	उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	[signature]
2	क्षेत्रीय वन अधिकारी, अजमेर	[signature] 28/4/2017
3	तहसीलदार, अजमेर	[signature]
4	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, नगर खण्ड, अजमेर	[signature] 28/4/17
5	श्री भरत कुमार धौलखेडिया, पार्षद, वार्ड 13, नगर निगम, अजमेर	[signature] 28/4/17
6	श्री अशोक टांक, ट्राम्बे स्टेशन, हरिजन बस्ती, अजमेर	अशोक
7	श्री आनन्द जाजोटा, ट्राम्बे स्टेशन, हरिजन बस्ती, अजमेर	आनन्दकुमार

आज इस बैठक में सर्वसम्मति से ट्राम्बे हरिजन बस्ती, अजमेर में एक उच्च जलाश्य हेतु अजमेर थोक मालियान प्रथम के खसरा न0 4617 में से 0.0225 हेक्टर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु एफआरए सटिर्फिकेट जारी करने के सम्बन्ध में दावा/आपति पेश नहीं हुए है। नगर निगम के वार्ड सं0 13 महौल्ला समिति सभा की बैठक दिनांक 14.04.2017 में अनापति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंषा और तहसील क्षेत्र अजमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नही होने से उक्त कार्य बाबत बैठक कार्यवाही विवरण एवं वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी,
अजमेर

(8)

वार्ड नम्बर 13 मौहल्ला समिति सभा

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर के द्वारा प्रस्तावित भूमि जिसमें कि हरिजन बस्ती ट्राम्बे स्टेशन वन भूमि पर पम्प हाउस व जलाशय निर्माण तथा पाईप लाईन जोडने बिछाने का कार्य किया जाना है जो कि खसरा नम्बर 4617 में 0.0225 हैक्टेयर भूमि पर किया जाना है। उक्त भूमि में अनुसूचित जाति/अन्य परम्परागत वन निवास नही कर रहे है।

इस हेतु आज दिनांक 14.04.17 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी ने जनहित के कार्य को देखते हुए भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु व अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापति प्रमाण--पत्र प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

समस्त वार्ड न-13 के निवासीगण

अशोक टांक 9001292244
श्रीचन्द 9269677136
ललित 9694113191
[signature]
8769470388
[signature]
9667044456
विजय कुमार
8107385530
महेश डिलवाल
9784525749
[signature]
9976737186
[signature]
दिलीप
प्रवीण
9829756274

जगदीश
पप्पू
अशोक
[signature]
Gyanchand
रमेशचन्द्र
धीरज
अमरचन्द
[signature]
सुरेश
रामलाल
महेश
Ramesh [signature]
आनन्द
8619318418
मुकेश डिलवाल
[signature]

मोहनलाल
मनोज कुमार
7665608861
आनन्द कुमार

[signature]
भरत कुमार ...
पार्षद वार्ड ...
नगर निगम ...

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 06.05.2017

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

क.स.	नाम अधिकारी / सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	Kishore Kumar	A-DM-I Ajmer	[signature]
2	श्री निकया गोहाएन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अजमेर	[signature]
3	श्री अजय चितोड़ा	उप वन संरक्षक,अजमेर	[signature]
4	अशोक कुमार मीना	उपखण्ड अधिकारी,अजमेर	[signature]
5	महेश दत्त शर्मा	तहसीलदार,अजमेर	[signature]
6	सम्पत जीनगर	अधि.अभि.पीएचईडी न.ख. प्रथम अजमेर	[signature]
7	श्री शिवराज भील	जिला परिषद,सदस्य	[signature]
8	श्रीमती सरोज देवी	जिला परिषद,सदस्य	सरोज
9.	गजेन्द्र सिंह पवांर	सहायक वन संरक्षक	[signature]

(10)

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2016/ 11215 दिनांकः 12/5/17

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.05.17 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.05.2017 को सभागार जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :-

प्रस्ताव संख्या एक :- जिला कलक्टर (राजस्व) अजमेर के पत्र क्रमांक 3803-04 दिनांक 06.04.2017 के तहत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,नगर खण्ड (प्रथम) अजमेर द्वारा ट्राम्बे हरिजन बस्ती अजमेर में एक उच्चं जलाशय हेतु खसरा नं0 4617 में से 0.0225 हैक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता मे हुई उपखण्ड स्तरीय बेठक का बैठक कार्यवाही विवरण तथा मौहल्ला समिति की सभा मे सहमति के आधार पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,नगर खण्ड (प्रथम) अजमेर द्वारा चाहा गया एफ0आर0ऐ0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,अजमेर	उप वन संरक्षक अजमेर	जिला कलक्टर अजमेर
तहसीलदार अजमेर	उपखण्ड अधिकारी अजमेर	अधिशाषी अभियंता पी0एच0ई0डी0 न0ख0प्रथम,अजमेर

सदस्यगण :- (1) सरोज

(2)

वार्ड नम्बर 13 मौहल्ला समिति सभा

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर के द्वारा प्रस्तावित भूमि जिसमें कि हरिजन बस्ती ट्राम्बे स्टेशन वन भूमि पर पम्प हाउस व जलाशय निर्माण तथा पाईप लाईन जोडने बिछाने का कार्य किया जाना है जो कि खसरा नम्बर 4617 में 0.0225 हैक्टेयर भूमि पर किया जाना है। उक्त भूमि में अनुसूचित जाति/अन्य परम्परागत वन निवास नही कर रहें है।

इस हेतु आज दिनांक 14.04.17 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी ने जनहित के कार्य को देखते हुए भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु व अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापति प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

समस्त वार्ड न-13 के निवासीगण

अशोक टांक 9001292245
9269677136

9694113191

8769470388

9667044456

विजय 8107385530

9784525749

9926737186

9829756274

जहीर

पप्पू

मोहन लाल

मनोज कुमार 7665608861

आनन्द 8619318418

मुकेश

Ramesh

भरत कुमार धौलखेड़िया
पार्षद वार्ड 13
नगर निगम, अजमेर

जल ही जीवन है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड– I, अजमेर (राज.)

फोन नं. 0145–2628476
(Email :- ee.phed@yahoo.in)

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2016–17/ अंके पंचम/ 63

दिनांक : 6/4/17

सहायक अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर उपखण्ड प्रथम, अजमेर

<u>विषयः</u>– पेयजल योजना ट्राम्बे स्टेशन हरिजन से सम्बन्धित वन विभाग के दस्तावेजों को वन विभाग की वेबसाईट पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट करने बाबत्

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उक्त योजना हेतु वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति लेनी है, जिसके क्रम में लेख है कि आप उक्त योजना से सम्बन्धित एवं वन विभाग द्वारा वांछित समस्त दस्तावेजों को वन विभाग की वेबसाईट पोर्टल पर अतिशीघ्र ऑनलाईन सबमिट करावें ताकि भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड–प्रथम अजमेर